[2018] 4 एस. सी. आर. 1098

कृष्णकांत तामराकर

वी.

मध्य प्रदेश का राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 470)

मार्च 28,2018

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कलाएँ। 14 और 21-त्वरित न्याय तक पहुँच-अपीलार्थी-अभियुक्त

(निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई) उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत से इनकार कर दिया गया था-सुप्रीम कोर्ट में अपील अदालत ने इस आधार पर कि 10 साल से अधिक समय से हिरासत में होने के कारण, अपील का उपाय अर्थहीन होगा यदि वह सजा की पूरी अवधि के लिए हिरासत में रहता है-आयोजितः जमानत देने से इनकार -

त्वरित न्याय तक पहुँच कला के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। 14 और 21 में देरी की समस्या के समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए

आपराधिक अपीलों की सुनवाई-न्याय जमानत का प्रशासन।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. त्वरित न्याय तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। राष्ट्रीय संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले आयोग ने सिफारिश की कि त्वरित न्याय तक पहुंच को एक स्पष्ट मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जा सकता है। [पैरा 16] [1110-एफ]

विनीत नारायण बनाम। भारत संघ (1996) 2 एससीसी 199: [1996] 1 एस. सी. आर. 1053; प्रकाश सिंह बनाम। भारत संघ (2006) 8 एससीसी 1: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 473-पर निर्भर।

इम्तियाज अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 2 एस. सी. सी. 688: [2012] 1 एससीआर 779; अनीता कुशवाहा बनाम। पुष्प सूडान (2016) 8 एस. सी. सी. 509: [2016] 9 एस. सी. आर. 560-संदर्भित।

2.1 उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि विशेष रूप से पांच साल से अधिक समय तक लंबित रहने वाले मामले एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

उच्च न्यायालयों में पांच साल से अधिक पुराने एक लाख मामले थे। 7.43 एक लाख मामले 10 साल से अधिक पुराने थे। चूंकि वर्तमान निपटान स्वयं नए मामलों की स्थापना की तुलना में कम था, इसलिए पुराने मामलों का उचित समय में निर्णय होने की कोई संभावना नहीं थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकी

एक सीमा से परे। तंत्र अत्यधिक भारी नहीं हो सकता था। न्यायाधीशों की बढ़ती संख्या, बुनियादी ढांचे और अन्य कदमों के साथ अधीनस्थ अदालतों में मामलों के बढ़ते निपटारे के कारण उच्च न्यायालय में काम की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना थी। अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों का निपटान पर्याप्त नहीं है, यदि उन्हें बाद में उच्च न्यायालयों में रखा जाता है। उच्च न्यायालयों के समक्ष वैधानिक उपचार प्रदान करने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, न्यायाधीशों के लिए निरीक्षण तंत्र संवैधानिक न्यायालय अन्य न्यायाधीशों के समान नहीं हैं। जबकि, इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है,

बड़ी संख्या में ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतिकूल हो सकती है। यदि ऐसे न्यायालयों को सौंपे जा रहे कार्य की मात्रा के अनुरूप संवैधानिक न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जानी है, तो इसका निहितार्थ तब तक हो सकता है जब तक कि पर्याप्त न पाया जाए। उपयुक्त व्यक्तियों की संख्या। यह तथ्य कि ऐसे न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, पहचान करने में कठिनाई को दर्शाता है

संवैधानिक न्यायालयों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या। विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष कार्य की प्रकृति

कानून बनाने में समय लगता है। ऐसे न्यायालयों पर अधिक बोझ नहीं डाला जा सकता है। [पैरा 23] [1113-सी-ई; 1114-ए-बी]

2.2 भारत के विधि आयोग की 124 वीं रिपोर्ट (1988) में "उच्च न्यायालय बकाया-एक नया रूप" शीर्षक से, विधि आयोग ने

यह मत व्यक्त किया गया कि जहां भी संभव हो, अपीलीय और व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित किया जाना चाहिए और बिना इसके कम किया जाना चाहिए

न्याय की गुणवत्ता को खराब करना। यह देखा गया कि विधि आयोग का दृष्टिकोण अपीलों की संख्या को कम करना, उच्च न्यायालयों में काम के प्रवाह को कम करने के लिए विशेषज्ञ अदालतों/न्यायाधिकरणों की स्थापना करना है। 272 वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा कि न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए मंच अपीलीय न्यायाधिकरण होना चाहिए, जो निर्णय अंतिम होना चाहिए। कोई वैधानिक अपील नहीं

2.3 चूँकि एक मुकदमे और एक अपील को आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन की निष्पक्ष प्रणाली का घटक माना जाता है। गंभीर प्रकृति के मामले, मूल मंच पर और एक अपीलीय मंच पर निर्णय उचित समय के भीतर होना चाहिए जो आम तौर पर एक से दो साल से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि कानून [2018] 4 एस. सी. आर. द्वारा उल्लेख किया गया है।

आयोग और मलिमथ आयोग। साथ ही, उपचार की कई परतों को समाप्त करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 227

उपचार, मुख्य रूप से एक निर्णय में विकृति या पेटेंट त्रुटि के खिलाफ होता है। [पैरा 31] [1117-ए-बी]

संवैधानिक न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करने के लिए उपयुक्त मंच तैयार करके न्यायिक संरचना में कोई परिवर्तन, ताकि वास्तविक रूप से इसे प्राप्त किया जा सके। त्वरित न्याय का संवैधानिक लक्षय। [पैरा 52] [1129-बी-सी]

* गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। एस्सार पावर

लिमिटेड (2016) 9 एससीसी 103: [2016] 5 एस. सी. आर. 101-निर्भर। पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 578; इम्तियाज अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2017) 3 एस. सी. सी. 658; अखरी बी वी. एम. पी. राज्य (2001) 4 एस. सी. सी. 355: [2001] 2 एससीआर 626; राधे श्याम बनाम। छवि नाथ (2015) 5 एस. सी. सी. 423: [2015] 3 एस. सी. आर. 197; सीता राम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1979) 2 एस. सी. सी. 656-निर्दिष्ट।

3.1 सभी स्तरों पर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं के साथ रिक्तियों को समय पर भरने पर भी तुरंत विचार करने की आवश्यकता है। 14 वें विधि आयोग ने वर्ष 1958 में अपनी रिपोर्ट में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा होने के मुद्दे की जांच की।

इसने कृष्णकांत तामराकर बनाम का सुझाव दिया। मध्य राज्य

प्रसाद

अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन द्वारा चयन। [पैरा 34] [1117-ई-एफ]

3.2 केंद्रीय चयन तंत्र की स्थापना से सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभाओं की समय पर नियुक्ति करने में काफी मदद मिलेगी।

संबंधित अधिकारी इस संबंध में कदम उठा सकते हैं।

बिना किसी देरी के ताकि समय पर और गुणवत्तापूर्ण नियुक्तियां सुनिश्चित की जा सकें। [पैरा 35] [1118-सी-डी]

3.3 संवैधानिक न्यायालयों की नियुक्ति में प्रधानता भारत के मुख्य न्यायाधीश की होती है। इस तरह की प्रधानता को प्रभावित किए बिना भी,

कॉलेजियम के कामकाज में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है। इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सचिवालय की स्थापना करने और कॉलेजियम प्रणाली के बेहतर और प्रभावी कामकाज के लिए अन्य कारकों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, नियुक्ति के बाद के आचरण या अपर्याप्त प्रदर्शन या धार्मिक आचरण को बनाए रखने में विफलता के खिलाफ सुधारात्मक उपाय विकसित करने की आवश्यकता है। इन पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। [पैरा

39] [1121 - ई-एफ; 1122-ए]

उपलब्ध उम्मीदवारों में से चयन किया जाना है। ऐसे उम्मीदवारों की तेजी से पहचान करना, आंकड़ों की उपलब्धता और ऐसे व्यक्तियों की भागीदारी की आवश्यकता हो सकती है जो समय बिता सकते हैं। प्रक्रिया के लिए निरंतर आधार पर सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। न्यायपालिका के साथ प्रधानता आवश्यक है लेकिन इस तरह के कठिन प्रकृति के काम के लिए, प्रभावी सहायता आवश्यक है। महसूस किया कि समय की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। समस्याएँ पेटेंट होने पर भी प्रणाली स्थिर या असंबद्ध नहीं रह सकती है।

[201

8] 4 एस. सी. आर. दिखाई देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीशों, विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति की प्रणाली को मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। उम्मीदवारों की पहचान,

जाँच, मूल्यांकन और नियुक्ति के बाद का प्रदर्शन

माप और आचरण समय लेने वाली प्रक्रियाएँ हैं और कम से कम कुछ स्वतंत्र पूर्णकालिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, यदि समय पर और सर्वोत्तम नियुक्तियाँ सुनिश्चित की जानी हैं और घर में निरीक्षण एक वास्तविकता होनी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुरूप एक पूर्णकालिक निकाय प्रणाली के लिए तत्काल आवश्यकता प्रतीत होती है। इसकी अनुपस्थिति न्याय से इनकार करने में योगदान देती है। केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 16 दिसंबर, 2015 के एन. जे. ए. सी. मामले में इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में एम. ओ. पी. कॉलेजियम के कामकाज में निर्धारित सुधार लाए। [पैरा 40] [1122-बी-एफ; 1123-ए]

3.5 भारत के विधि आयोग की 14 वीं रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में इस न्यायालय के फैसले,

इस न्यायालय की बकाया समिति के कार्यवृत्त दिनांक 8 अप्रैल, 2017 और इस विषय पर अनुभव, लंबित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे पर विचार करते हुए, संवैधानिक न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए केंद्रीय चयन तंत्र के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता है और यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि सभी स्तरों पर संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में अपर्याप्तताओं को कैसे पूरा किया जाए। [पैरा 52] [1129-डी-ई]

*** अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ (1992) 1 एससीसी 119: [1991] 2 पूरक। एससीआर 206; मलिक मजहर सुल्ताना (3) और अन्र। वी. यू. पी. पब्लिक सर्विस कॉमन

& ओआरएस। (2008) 17 एस. सी. सी. 703; अखिल भारतीय न्यायाधीश '

एसोसिएशन वी। यूओआई (2002) 4 एससीसी 247: [2002] 2 एस. सी. आर. 712; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन

बनाम भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: [1993] 2 पूरक। एस. सी. आर. 659; न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 143 (1) के तहत विशेष अध्यक्ष संदर्भ (1998) 7 एस. सी. सी. 739: [1998] 2 पूरक। एस. सी. आर. 400; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ

(2016) 5 एस. सी. सी. 1-निर्भर।

रीः श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन (2017) 7 एस. सी. सी. 1-संदर्भित।

4. कृष्णकांत तामराकर बनाम टिप्पणियों के अनुसार न्यायिक प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन और संकलन करने के लिए तंत्र की भी आवश्यकता है।

मध्य राज्य

प्रसाद

विधि आयोग की 245 वीं रिपोर्ट में, ताकि त्वरित न्याय के अधिकार के अनुरूप मामलों के निर्णय और जवाबदेही के लिए गैर-अनिवार्य समय सीमा हो। इस तरह का तंत्र पदानुक्रम में सभी न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन माप के लिए मानदंड प्रदान कर सकता है। बिना प्रभावित किए भी ऐसा ही करना होगा।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता। महाभियोग के अलावा गलती करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ उपायों के लिए विशेषज्ञों द्वारा संचालित लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुरूप सुरक्षा उपायों के साथ एक आंतरिक तंत्र की भी आवश्यकता है। [पैरा 41] [1123-सी-डी]

री: श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन (2017) 7 एस. सी. सी. 1-संदर्भित।

5.1 बार में न्याय तक पहुँच में सहायता करने के अपने पेशेवर कर्तव्य को हर दूसरे से ऊपर रखने की परंपरा है।

विचार करें। कुछ स्थानों पर लगातार हड़तालें होती हैं, जो न्याय तक पहुंच में गंभीर रूप से बाधा डालती हैं। यहां तक कि हिरासत में बंद व्यक्तियों के मामलों में भी देरी होती है। प्रत्येक हड़ताल से न्यायिक प्रणाली, विशेष रूप से न्याय के उपभोक्ताओं को अपरिवर्तनीय क्षति होती है। उन्हें प्रवेश से वंचित किया जाता है न्याय। न्यायिक और सार्वजनिक समय के बर्बाद होने के कारण करदाताओं का पैसा बर्बाद हो जाता है। इस तरह के नुकसान के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है और

उत्पीड़न। [पारस 42,44] [1123-ई-एफ; 1124-बी]

5.2 चूँकि हड़ताल इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है, इसलिए इतनी ही राशि अवमानना के लिए है और कम से कम हड़ताल का आह्वान करने वाले संघों के पदाधिकारी अवमानना के लिए अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकते हैं। हड़ताल पर जाने और काम से दूर रहने का हर प्रस्ताव अवमानना है। भले ही कदाचार के लिए संबंधित अदालत या संबंधित बार काउंसिल द्वारा ऐसे अवमानकों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करने के लिए कुछ तंत्र प्रदान करना आवश्यक है, जिसके लिए एक कानून लंबित है।

स्थिति को ठीक करें। [पैरा 50] [1128-डी] 5.3 विधि आयोग ने अपनी 266 वीं रिपोर्ट में पाया कि अधिवक्ताओं का ऐसा आचरण अदालतों के कामकाज को प्रभावित करता है और

विशेष रूप से यह मामलों के लंबित होने में योगदान देता है। इसने हड़ताल के आह्वान के कारण कार्य दिवसों के नुकसान के आंकड़ों का विश्लेषण किया। [पैरा 47] [1124-जी; 1125-ए]

5.4 संविधान [2018] 4 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत न्याय तक त्वरित पहुंच के मौलिक अधिकार को लागू करने की दृष्टि से।

और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, कानून और न्याय मंत्रालय को हड़ताल/काम से दूर रहने, नुकसान होने और प्रस्तावित कार्रवाई पर कम से कम एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना आवश्यक है। इसके बाद इस मामले पर इस न्यायालय की अवमानना या अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में विचार किया जा सकता है। न्यायालय, तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह मान सकता है कि बार एसोसिएशन/बार काउंसिल के पदाधिकारी जिन्होंने हड़ताल या अनुपस्थित रहने के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

कार्य से, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या उस समय तक जब तक वे एक उपयुक्त वचन/शर्तों के आधार पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए खुद को अवमानना से मुक्त नहीं करते हैं, किसी भी अदालत के समक्ष उपस्थित होने से प्रतिबंधित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। जब तक संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा दायर किए जा रहे उचित वचन पर अनुमति नहीं देते, तब तक उन्हें बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पद से तुरंत हटा दिया जा सकता है। यह हो सकता है

न्याय तक पहुँच में बाधा डालने के उक्त अवैध कृत्यों के लिए की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा। इस संबंध में उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी इस न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार किया जा सकता है। यदि स्थिति आवश्यक हो तो यह तिमाही के अंत से पहले भी किसी अन्य स्रोत से रिपोर्ट/याचिका पर रोक नहीं लगाता है। [पैरा 51] [1128-ई-एच; 1129-ए]

2 एससीसी 45: [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 186; महिपाल सिंह राणा वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 8 एससीसी 335

पर भरोसा किया।

कश्मीरा सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1977) 4 एससीसी 291:

[1978] 1 एस. सी. आर. 385; पंजाब राज्य बनाम बृजेश्वर सिंह

(2016) 6 एससीसी 1: [2016] 4 एस. सी. आर. 685-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 1 एससीआर 385

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1996] 1 एससीआर 1053

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[2006] 6 पूरक। एससीआर 473

उस पर भरोसा करें

पैरा 6

[2016] 4 एससीआर 685

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2016] 9 एससीआर 560

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2012] 1 एससीआर 779

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

(2002) 4 एस. सी. सी. 578

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

(2017) 3 एस. सी. सी. 658

संदर्भित किया गया है

पैरा 20 कृष्णकांत तामराकर बनाम। मध्य राज्य

प्रसाद

[2001] 2 एससीआर 626

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2015] 3 एससीआर 197

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

(1979) 2 एस. सी. सी. 656

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2016] 5 एससीआर 101

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

उस पर भरोसा करें

[1991] 2 पूरक। एससीआर 206

पैरा 34

[2002] 2 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

(2008) 17 एस. सी. सी. 703

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

[1998] 2 पूरक। एससीआर 400

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

(2017) 7 एससीसी 1

पैरा 38

संदर्भित किया गया है

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

[2002] 5 पूरक। एससीआर 186

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

(2016) 8 एस. सी. सी. 335

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2018 का सं. 470।

उच्च न्यायालय के 03.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 की आपराधिक अपील संख्या 1823 में जबलपुर में एम. पी. की प्रधान सीट।

गोपाल सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। (एसी), तल्हा रहमान, पवन

भूषण, हितेश सैनी, डॉ. अजय कुमार, तुहीन लवानिया, महेंद्र सिंह, नंदलाल कुमार मिश्रा, राम किशोर सिंह यादव, सुश्री सुनीता यादव, सुश्री मिरांडा, कौशल यादव, एस. एस. शमशेरी, सुश्री हरि प्रिया, एम. के. मरोरिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आदर्श कुमार गोएल, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। यह अपील

2009 के सी. आर. ए. सं. 1823 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 मई, 2017 के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है, जिसमें जमानत के लिए अनुरोध, आजीवन कारावास के खिलाफ आपराधिक अपील के लंबित निपटारे को अस्वीकार कर दिया गया है, हालांकि अपीलार्थी दस से अधिक समय से हिरासत में है। वर्षों से।

2. अपीलार्थी धारा 148,302/149 के तहत दोषी ठहराया जाता है।

आई. पी. सी. और अन्य सजाओं के अलावा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 जून, 2005 को ए. एम. में अपीलार्थी ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर एक शाहिद की हत्या का कारण बना। आरोप के समर्थन में साक्षय को देखते हुए, निचली अदालत ने [2018] 4 एस. सी. आर. को दोषी ठहराया।

और अपीलार्थी को सजा सुनाई। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर विचार किए जाने तक जमानत के लिए आवेदन किया। उक्त प्रार्थना के बाद अस्वीकार कर दिया गया, एक और आवेदन दायर किया गया। उच्च न्यायालय ने दूसरी जमानत याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड पर साक्षय जमानत देने की गारंटी नहीं देता है।

3. इस अपील में, उच्च न्यायालय के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थी दस से अधिक समय से हिरासत में था

यदि उसे सजा की पूरी अवधि के लिए हिरासत में रहना है तो वर्षों और अपील का उपाय अर्थहीन होगा। रिलायंस को कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

मुद्दा

4. जब मामला इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

" याचिकाकर्ता की शिकायत है कि वह दस साल से अधिक समय से हिरासत में है। उन्हें न तो जमानत दी गई है और न ही उनकी याचिका पर सुनवाई की गई है। यह कहा गया है कि कोई नहीं है

निकट भविष्य में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई होने की संभावना।

जबकि हम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हम इस सवाल तक सीमित नोटिस जारी करते हैं कि स्थिति कैसे हो सकती है।

यह सुनिश्चित करते हुए सुधार किया गया कि अपील की सुनवाई एक के भीतर की जाए अपीलीय मंच पर उचित समय।

नोटिस जारी करें। संयोजक, नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स यानी

भारतीय न्याय संघ के सचिव और वकील भी

भारत के जनरल।

न्यायालय में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया जाता है।

न्यायमित्र "।

5. तदनुसार, हमने इस प्रश्न पर विद्वान महान्यायवादी और विद्वान न्यायमित्र को सुना है कि अपीलों की सुनवाई में देरी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। सीखी हुई अमीकस की प्रस्तुतियाँ

6. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि कानून के शासन के लिए समय पर न्याय आवश्यक है। न्याय तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है

भारत का संविधान। इसे सार्वभौमिक संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत भी मान्यता प्राप्त है।

1 1 (1977) 4 एस. सी. सी. 291 कृष्णकांत तामराकर बनाम। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

मानवाधिकारों की घोषणा के साथ-साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 9 और 14। इस प्रकार, त्वरित विकास के लिए व्यावहारिक, प्रभावी और प्राप्त करने योग्य प्रणाली खोजने की सख्त आवश्यकता है।

अपीलों का निपटान। वर्ष 2014 में अपनी 245 वीं रिपोर्ट में, भारत के विधि आयोग ने गणना की विधि के लिए पर्याप्त विश्लेषण किया।

न्यायाधीश-शक्ति और उस आधार पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई। विनीत नारायण बनाम भारत संघ 2 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकारी एजेंसियों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश के अनुसार अपने कानूनी दायित्वों का पालन करना चाहिए। प्रकाश सिंह बनाम

राष्ट्रीय बकाया ग्रिड को लागू करने की आवश्यकता थी। 1996 की वूल्फ रिपोर्ट ने दैनिक आधार पर सटीक न्यायिक आंकड़ों के निर्माण पर जोर दिया। ग्रिड को न्याय के वितरण के लिए कदमों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए गरीबों और वंचितों के बारे में। मामला प्रबंधन प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए। 'न्याय में देरी न्याय को अस्वीकार कर रही है' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में कानूनी और न्याय पर कैंडियन स्थायी सीनेट समिति

संवैधानिक मामलों ने कहा कि "मजबूत मामले और मामले के प्रवाह प्रबंधन की कमी शायद देरी में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है"। इंग्लैंड और वेल्स में, मुकदमे और अपीलीय दोनों स्तरों पर सभी आपराधिक मामलों में मुकदमे से पहले के मामले के प्रबंधन का सख्ती से पालन किया जाता है। सक्रिय मामला प्रबंधन में शामिल हैं:

" ((i) वास्तविक मुद्दों की शीघ्र पहचान;

((ii) निश्चितता प्राप्त करना कि क्या किया जाना चाहिए, किसके द्वारा और कब, विशेष रूप से समय सारिणी की प्रारंभिक स्थापना द्वारा।

मामले की प्रगति के लिए;

((iii) मामले की प्रगति और अनुपालन की निगरानी करना।

दिशाओं के साथ;

((iv) देरी को हतोत्साहित करना, एक ही अवसर पर मामले के अधिक से अधिक पहलुओं से निपटना और टालना।

अनावश्यक सुनवाई;

(v) प्रतिभागियों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना

मामले की प्रगति, और

(vi) प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

2 (1996) 2 एससीसी 199

3 (2006) 8 एससीसी 1 [2018] 4 एस. सी. आर.

7. इंग्लैंड और वेल्स में केस मैनेजमेंट क्रिमिनल प्रोसीजर का भी संदर्भ दिया गया था।

8. विद्वान न्यायमित्र ने आगे कहा कि बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों में अनुचित अपीलों को समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। सक्षम सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र द्वारा की जानी चाहिए जैसा कि पंजाब राज्य बनाम पंजाब में निर्धारित किया गया है।

बृजेश्वर सिंह 1. 9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिक्तियों को न्यायाधीश के पद छोड़ने की तारीख से बहुत पहले भरा जाना चाहिए। लंबित अपीलों से निपटने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

10. जहाँ कहीं भी अपीलों की अधिक विचाराधीनता है, वही कर सकते हैं

साक्षय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दर्ज किया जा सकता है, विशेष रूप से उन डॉक्टरों और जांच अधिकारियों के लिए जो बाहरी नौकरी पर हो सकते हैं और आधिकारिक कर्तव्यों में लगे हो सकते हैं जिन्हें अदालत में शारीरिक रूप से आने पर नुकसान उठाना पड़ता है। बार के सदस्यों के साथ-साथ पुलिस के बीच कार्य संस्कृति में भी बदलाव होना चाहिए। स्थगन से बचने के प्रयास किए जाने चाहिए। अपीलों की सुनवाई के लिए समय सारिणी निर्धारित की जानी चाहिए जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

11. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि सरकार ने परिसमापन के लिए न्यायपालिका की सहायता के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है अदालतों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करके बकाया और विचाराधीनता

जिसमें कम्प्यूटरीकरण, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है। ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना शुरू की गई है। कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों को बढ़ाकर 16,089 कर दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए 1,670 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई है। 500 अदालतों और जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू की गई है। नैटिनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के पास 6.36 करोड़ निर्णय किए गए और 2.50 करोड़ लंबित मामलों की जानकारी है। 5.24 करोड़ आदेश/निर्णय हैं

उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं

4 (2016) 6 एस. सी. सी. 1 कृष्णकांत तामराकर बनाम। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

वाणिज्यिक न्यायालय। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में संशोधन किए गए हैं। अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए बकाया समितियों का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कदम तैयार करने और लंबित मामलों को कम करने के लिए बकाया समिति का भी गठन किया है उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों का। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण गरीबों के लिए न्याय तक पहुँच के लिए तंत्र प्रदान करता है। लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उपयोगिता लोक अदालतों में निर्णय के अलावा, निर्णय की आवश्यकता के बिना समझौते के आधार पर कई मामलों का निपटारा किया गया है। सरकार ने वादियों की सहायता के लिए न्याय मित्रों को शामिल करने की योजना को मंजूरी दी है।

12. विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि अपीलों के निपटारे में देरी से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करके और बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है

समन्वय और योजना। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उचित जांच द्वारा,

अपील करने की अनुमति या यहाँ तक कि अपील के लिए आवेदन का संक्षिप्त निपटान किया जा सकता है जिससे अदालतों का बोझ कम हो जाएगा। 13. हम विद्वान न्यायमित्र और विद्वान महान्यायवादी के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

मुद्दे का ध्यान रखना

14. भले ही शुरू में आपराधिक अपीलों की सुनवाई में देरी की स्थिति को सुधारने के मुद्दे पर विचार करने के लिए नोटिस जारी किया गया था

उच्च न्यायालयों के समक्ष, विद्वान न्यायमित्र और विद्वान महान्यायवादी ने सभी स्तरों पर त्वरित न्याय के मुद्दे पर आम तौर पर न्यायालय को संबोधित किया। हम त्वरित गति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना उचित समझते हैं।

न्याय क्योंकि ये पहलू उच्च न्यायालयों द्वारा आपराधिक अपीलों की सुनवाई में देरी के मुद्दे के अभिन्न अंग हैं। पहला प्रश्न जो हम विचार के लिए लेते हैं, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय की अधिकारिता की प्रकृति और कार्य की वर्तमान मात्रा को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अपीलों के त्वरित निपटान की अपेक्षा यथार्थवादी है या न्यायिक संरचना के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। दूसरा, जब त्वरित न्याय सीधे तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की समय पर नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, तो क्या सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तीसरा, सर्वोत्तम प्रबंधन की योजना बनाने और उसकी देखरेख करने का तंत्र क्या हो सकता है?

इष्टतम प्रदर्शन और उचित आचरण के लिए प्रौद्योगिकी के रोजगार सहित प्रथाएं। चौथा, बार-बार हड़ताल करना न्याय तक पहुँच को कैसे बाधित करता है और स्थिति को सुधारने के लिए किन कदमों की आवश्यकता होती है।

15. हम इस बात से अवगत हैं कि उपरोक्त मुद्दे मुख्य रूप से नीतिगत हैं।

विषय हैं। अदालतों के पुनर्गठन और न्याय के प्रशासन का विषय कार्यपालिका और विधायिका द्वारा देखा जाने वाला विषय है। हालाँकि, चूंकि यह विषय त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, इसलिए यह न्यायालय बार-बार प्रस्तुत की गई समस्या पर गौर करने से इनकार नहीं कर सकता है।

सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से, इस मामले में विचार करने और कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है।

16. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि त्वरित न्याय तक पहुंच एक हिस्सा है

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

सिफारिश की गई कि त्वरित न्याय तक पहुंच को एक स्पष्ट मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

17. यह मामला कई फैसलों में विचार का विषय रहा है। इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में विचार के लिए उठाया गया मुद्दा आपराधिक मामलों के निपटारे में देरी था जहां उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी। एक रिपोर्ट पर विचार करने पर, न्यायालय ने कहा:

5 अनीता कुशवाहा बनाम। पुष्प सुदान (2016) 8 एस. सी. सी. 509, पैरा 31 6 (2012) 2 एस. सी. सी. 688 कृष्णकांत तामराकर बनाम।

" (क) 9 प्रतिशत से अधिक मामलों ने पूरा कर लिया है।

स्थगन आदेश की तारीख से बीस साल।

(ख) लगभग 21 प्रतिशत मामले दस से अधिक पूरे कर चुके हैं।

वर्षों से।

(ग) प्रति मामला औसत विचाराधीनता (गणना की तारीख से)

26-7-2010) तक ठहरने का क्रम लगभग 7.40 वर्ष का होता है।

(घ) आरोप पत्र को सबसे प्रमुख चरण पाया गया।

जहाँ लगभग 32 प्रतिशत मामलों पर रोक लगा दी गई थी

यह इस श्रेणी में आता है। अगले दो प्रमुख चरण

प्रत्येक के साथ 'उपस्थिति' और 'समन' पाए जाते हैं

यह कुल मामलों का 19 प्रतिशत है। अगर

और

' समन '

माना जाता है

' उपस्थिति '

हैं।

विनिमेय, फिर वे सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे अधिकतम स्थगन आदेश "।

18. इस अदालत ने विधि आयोग को मामले की जांच करने का निर्देश दिया

विलम्ब को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की दृष्टि से।

19. तदनुसार, विधि आयोग ने अपनी 245 वीं रिपोर्ट में इस मामले की जांच की।

जुलाई, 2014 में दी गई रिपोर्ट और संवर्ग की संख्या की समीक्षा की सिफारिश की गई। आयोग ने कहा कि भारी बैकलॉग के कारण प्रणाली समय पर न्याय देने में असमर्थ थी, जिसके लिए न्यायाधीशों की

संख्या अपर्याप्त थी। इसने नोट किया कि कुछ देशों में अनिवार्य समय सीमा प्रदान की गई थी। पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य 'में, यह न्यायालय अनिवार्य समय सीमा के पक्ष में नहीं था। गैर-बाध्यकारी निर्देशिका दिशानिर्देशों को अपनाया जा सकता है। 14 विधि आयोग की रिपोर्ट

समय सीमा का सुझाव दिया जिसे बाद के विधि आयोग की रिपोर्टों में दोहराया गया था। मलिमथ समिति ने दो साल की समय सीमा को मानक के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की जिसके द्वारा प्रणाली में देरी और बकाया को मापा जाना चाहिए। व्यक्तिगत समय पर न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मामले विशिष्ट समय सारिणी को अपनाया जाता है। आयोग ने

यह पाया गया कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामले

अपेक्षित समय सीमा के भीतर मामलों की वर्तमान स्थापना के साथ-साथ निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना। जिन समस्याओं पर ध्यान दिया गया उनमें से एक बड़ी रिक्तियां और रिक्तियों को समय पर भरने में विफलता थी। 7 (2002) 4 एस. सी. सी. 578 [2018] 4 एस. सी. आर.

देरी और बकाया न केवल निचली अदालतों में बल्कि पूरी न्यायिक प्रणाली में एक चिंता का विषय था। यदि निचली अदालतों में निपटान बढ़ता है, तो मामला उच्च अदालतों में रखा जा सकता है। पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सहायक कर्मचारी भी महत्वपूर्ण थे। समयबद्धता और प्रदर्शन बेंच मार्क्स जैसी अच्छी न्यायिक प्रबंधन प्रथाओं पर भी चर्चा की गई। यह देखा गया कि उच्च न्यायालय पहले से ही बैकलॉग हैं और नई फाइलिंग के साथ तालमेल रखने में सक्षम नहीं हैं। यह देखा गया कि विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए गैर-अनिवार्य समय सीमा स्थापित करने की आवश्यकता थी। जब तक न्यायाधीशों और वादियों की स्पष्ट अपेक्षाएँ नहीं होंगी, तब तक बहुत कम होंगी।

देरी के लिए जवाबदेही।

20. इसके बाद, इस मामले पर इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.[3] में विचार किया गया। इस न्यायालय ने उसमें निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में संवर्ग की संख्या की समीक्षा के लिए निर्देश दिए। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त फैसले में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों की संख्या और जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे को तय करने के मुद्दे पर विचार किया गया है।

उच्च न्यायालयों में लंबित पांच साल पुराने मामलों के निर्णय की संभावना, विशेष रूप से मौजूदा न्यायालयों के भीतर आपराधिक अपीलें। प्रणाली-संवैधानिक न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करने पर विचार करने की आवश्यकता है।

21. अख्तरी बी बनाम स्टेट ऑफ एम. पी. में, इस न्यायालय ने अनुरोध किया

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश पांच साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक अपीलों के निपटारे के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाएंगे।

22. अप्रैल, 2016 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया और इसका समाधान किया गया:

" 8. देय राशि और बकाया समिति:

XXX XXX XXX

पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में; ((ii) उच्च न्यायालय जहां अधिक मामलों के लिए बकाया लंबित हैं।

पाँच साल से अधिक समय तक केंद्रित रहने से मिशन मोड में उनके निपटान की सुविधा होगी।

8 (2017) 3 एससीसी 658 9 पैरा 43

1 0 (2001) 4 एस. सी. सी. 355 कृष्णकांत तामराकर बनाम। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

((ग) इसके बाद उच्च न्यायालय उत्तरोत्तर चार वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे का लक्षय निर्धारित करेंगे।

((iv) जिला न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देते हुए, जहां संभव हो, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन पर विचार किया जाना चाहिए; और

(v) केस-फ्लो प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएं।

नियम "।

23. उपलब्ध आंकड़े 1 1 से पता चलता है कि लंबे समय तक विचाराधीनता, विशेष रूप से

उच्च न्यायालयों के समक्ष वैधानिक उपचार प्रदान करना। इसके अलावा, संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए निरीक्षण तंत्र अन्य न्यायाधीशों के समान नहीं है। हालांकि, इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, बड़ी संख्या में ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतिकूल हो सकती है। यदि समान रूप से संवैधानिक न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जानी है 1 1 कृपया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट (www.supremecourtofindia.nic.in) में कोर्ट न्यूज-अक्टूबर-दिसंबर, 2016 देखें या (HTTP: //सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। में/पी. डी. एफ. /

कोर्ट न्यूज़/कोर्ट न्यूज़ वॉल्यूम XI अंक संख्या 4 अक्टूबर से दिसंबर 2016. पी. डी. एफ.) 12 (1997) 3 एस. सी. सी. 261-पैरा 78 ". उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संविधान को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें इसकी व्याख्या करने की शक्ति प्रदान की गई है। वे ही हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करना है कि संविधान द्वारा परिकल्पित शक्ति का संतुलन बना रहे और विधायिका और

कार्यपालिका अपने कार्यों के निर्वहन में संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती है। समान रूप से यह उनका कर्तव्य है कि वे इस बात की निगरानी करें कि अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों का संचालन करने वालों द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय कानूनी नियमों के सख्त मानकों के खिलाफ न हों। शुद्धता और न्यायिक स्वतंत्रता। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपाय अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों या सामान्य विधानों द्वारा बनाए गए न्यायाधिकरणों का संचालन करने वालों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसे न्यायालयों को सौंपे जाने वाले कार्य की मात्रा, इसका निहितार्थ तब तक हो सकता है जब तक कि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों को ढूंढना संभव न हो। यह तथ्य कि ऐसे न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, संवैधानिक न्यायालयों के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में कठिनाई को दर्शाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि पहले काम की प्रकृति

संवैधानिक न्यायालयों द्वारा विशेष रूप से कानून निर्धारित करने में समय लगता है। ऐसे न्यायालयों पर अधिक बोझ नहीं डाला जा सकता है।

24. इस न्यायालय की बकाया समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया

भरें।

अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों और बकाया का मुद्दा। यह.

इस बात पर ध्यान दिया गया कि बेहतर निगरानी, बेहतर प्रबंधन और केंद्रीय चयन जैसे अन्य कदम अधीनस्थ अदालतों में तेजी से निपटान में मदद कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अदालतों का काम अलग-अलग स्तर पर है। विचाराधीनता और निपटान में बेमेल होने के कारण, समिति ने न्यायिक सुधारों के मुद्दों का पता लगाने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत करने की सिफारिश की, जिसमें न्याय प्रशासन की संरचना को फिर से तैयार करना और त्वरित न्याय के संवैधानिक लक्षय के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तन शामिल हैं। तदनुसार, हितधारकों के साथ एक बैठक

यह 8 अप्रैल, 2017 को आयोजित किया गया था। जिन मुद्दों पर विचार किया गया वे थे:

" i) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सिविल से भीड़भाड़ कम करना।

और आपराधिक अपीलें।

(ii) भीड़भाड़ कम करने में योगदान के लिए न्यायाधिकरणों का प्रदर्शन

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामले।

iii) रिक्तियों को भरने के लिए केंद्रीय चयन तंत्र

अधीनस्थ न्यायालय।

iv) अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग और कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो

जाँच अधिकारी द्वारा जाँच।

v) कानूनी पेशे में सुधार। vi) जमानत देने और परीक्षणों के तहत जारी करना।

25. उक्त बैठक में यह देखा गया कि अधिकांश उच्च न्यायालयों में निपटान संस्था की तुलना में कम था। इसने न्याय के प्रशासन की संरचना को फिर से तैयार करने का आह्वान किया। सुझावों में से एक यह था कि

संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष प्रदान किए गए वैधानिक उपायों को वैकल्पिक मंचों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह सुझाव दिया गया था कि अपील न्यायालयों की स्थापना जिला न्यायालयों से ऊपर लेकिन उच्च न्यायालय के नीचे की जा सकती है। ऐसे न्यायालय

13 23 मार्च, 2017 को आयोजित बकाया समिति की बैठक के कार्यवृत्त कृष्णकांत तामराकर बनाम।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

अपीलों में एक से अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं, जो आंशिक रूप से वरिष्ठ जिला न्यायाधीशों से लिए जाते हैं और आंशिक रूप से केंद्रीय चयन तंत्र के माध्यम से सीधे बार से भर्ती किए जाते हैं। यदि उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों को इस प्रकार स्थानांतरित किया जा सकता है

पीठ जिनका निर्णय अंतिम होगा।

26. एक सक्षम कानून अधिनियमित किया जा सकता है जिसके द्वारा राज्य, उच्च न्यायालयों के परामर्श से, सभी या कुछ श्रेणियों का हस्तांतरण कर सकता है -

14 8 अप्रैल, 2017 को आयोजित बकाया समिति की बैठक के कार्यवृत्त से प्रासंगिक उद्धरण:

" उपलब्ध आंकड़ों के संदर्भ से पता चलता है कि उच्च न्यायालयों में पांच साल से अधिक पुराने मामलों की लंबितता उच्च न्यायालयों में कुल लंबितता का 40 प्रतिशत से अधिक थी और पांच साल पुराने मामलों के आंकड़े बढ़ रहे थे। अधिकांश उच्च न्यायालयों में आपराधिक अपीलें पांच साल से अधिक समय से लंबित थीं और त्वरित न्याय की आम वादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की अपीलों को सुनवाई के लिए लिए जाने की कोई संभावना नहीं थी। अधिकांश उच्च न्यायालयों में आपराधिक अपीलों का निपटान संस्था की तुलना में कम था। आपराधिक मामलों के निर्णय में देरी, विशेष रूप से गंभीर मामलों की श्रेणी में जहां जमानत देना सुरक्षित नहीं था, एक संतोषजनक स्थिति नहीं थी। जब तक उच्च न्यायालयों में आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए कोई विकल्प नहीं था, तब तक संरचनात्मक विकल्प की खोज समय की अनिवार्य आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय में अपील अधिकार क्षेत्र के अन्य क्षेत्र हैं जिनमें दूसरी अपील, वैवाहिक संबंध शामिल हैं।

मामले, आकस्मिक दावे के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले जिनके शीघ्र निपटारे की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वे उच्च न्यायालयों में मामलों की उच्च लंबितता और ऐसी अपीलों के निर्णय में लगने वाले समय के कारण उच्च न्यायालय के स्तर पर अवरुद्ध हो जाते हैं। आँकड़े बताते हैं कि अधिकांश उच्च न्यायालयों में निपटान संस्था की तुलना में कम था और लगभग एक लाख मामले पाँच साल से अधिक पुराने थे। 10 साल पुराने मामलों का आंकड़ा उच्च न्यायालयों में 7 लाख 43 हजार और अधीनस्थ न्यायालयों में 20 लाख से अधिक है।

इस प्रकार, न्याय के प्रशासन की संरचना को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय केवल मुख्य संवैधानिक कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं, जबकि वैधानिक अपील या अन्य वैधानिक कार्यों को अपील न्यायालयों द्वारा एक वैकल्पिक तंत्र द्वारा निपटाया जा सकता है, जो पदानुक्रम में जिला न्यायाधीशों से अधिक लेकिन उच्च न्यायालय के नीचे होगा। ऐसे संवर्ग में आंशिक रूप से उच्च न्यायिक सेवा से और आंशिक रूप से केंद्रीकृत भर्ती तंत्र के माध्यम से बार से चयन किए गए सदस्य शामिल हो सकते हैं। ऐसी पीठों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निपटान मानदंडों/लक्ष्यों को निर्धारित करना संभव हो सकता है और इसके आलोक में प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर कई पीठों का मूल्यांकन किया जा सकता है। लंबित अपीलों या कम से कम कुछ श्रेणियों की

अपीलों को ऐसी पीठों को हस्तांतरित किया जा सकता है। निष्पादन, सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता के आधार पर, उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए अपीलीय पीठों के सदस्यों पर विचार किया जा सकता है। अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय में जाने का उपाय बरकरार रहेगा। कुछ प्रतिभागियों द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि एक अन्य अपीलीय मंच बनाने से आवश्यक रूप से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का बोझ कम नहीं हो सकता है। क्योंकि, वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक मुकदमे को उच्च मंच तक ले जाने की प्रवृत्ति है और कम से कम उच्च न्यायालय तक, यदि सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं। हालांकि, अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का दायरा सीमित है और तथ्यों और कानून पर अपील तय करने के समान नहीं है।"

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालयों से वैकल्पिक मंचों पर अपील या अन्य वैधानिक कार्यवाही। संवैधानिक उपाय बरकरार रहेंगे। यह समझाया गया कि इससे एक अतिरिक्त मंच का निर्माण नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी की अवधि तेजी से निपटाने के बजाय लंबी होगी। अनुच्छेद 227 के तहत संवैधानिक उपाय वैधानिक अपील 1.5 से अलग था।

27. बैठक में विचार किए गए सुझावों में शामिल हैं -

न्यायाधिकरणों का पुनर्गठन, कानूनी पेशे में सुधार, सूचना का अधिकार अधिनियम (आर. टी. आई.) के बराबर निर्दिष्ट समय सीमा के साथ प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, कुछ श्रेणियों के नागरिक और आपराधिक विवादों के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाएं। बात यह थी कि

इसके बाद उच्च न्यायालयों की बकाया समितियों के साथ उच्चतम न्यायालय की बकाया समिति की बैठक में भी विचार किया गया।

28. भारतीय विधि आयोग (1988) की 124 वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा था कि "उच्च न्यायालय का बकाया-एक नया रूप"।

कि जहाँ भी संभव हो, न्याय की गुणवत्ता को बाधित किए बिना अपीलीय और व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित और कम किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि विधि आयोग का दृष्टिकोण अपीलों की संख्या को कम करना, उच्च न्यायालयों में काम के प्रवाह को कम करने के लिए विशेषज्ञ अदालतों/न्यायाधिकरणों की स्थापना करना है।

29. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में भी इस न्यायालय में सीधी अपील के प्रावधानों में संशोधन की इच्छा पर विचार किया गया था।

बनाम एस्सार पावर लिमिटेड "। इसमें, इस न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की अनूठी भूमिका पर विचार किया और कहा कि संवैधानिक न्यायालयों का अत्यधिक बोझ संविधान के कामकाज के लिए अवांछनीय था। संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष नियमित प्रकृति के भारी काम ने उनकी निर्धारित मुख्य भूमिका को प्रभावित किया। विधि आयोग को इस मामले को देखने के लिए कहा गया था।

30. 272 वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने पाया कि फोरम

न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण होने चाहिए, जो निर्णय अंतिम होना चाहिए। उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के समक्ष नियमित तरीके से कोई वैधानिक अपील प्रदान नहीं की जानी चाहिए। कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती है

उक्त सिफारिशों पर लिया गया है। 15 राधे श्याम बनाम छवि नाथ (2015) 5 एस. सी. सी. 423; सीता राम बनाम राज्य

यूपी (1979) 2 एससीसी 656

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए बकाया समिति की बातचीत के 1 6 मिनट

8 अप्रैल, 2017 को आयोजित न्यायालय

17 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए बकाया समिति की बातचीत के कार्यवृत्त

22 अप्रैल, 2017 को आयोजित न्यायालय

18 (2016) 9 विधि आयोग की रिपोर्ट के एस. सी. सी. 103 19 8.23 कृष्णकांत तामराकर बनाम।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

31. चूँकि एक मुकदमा और एक अपील को घटक माना जाता है।

गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन की निष्पक्ष प्रणाली 20, मूल मंच पर और एक अपीलीय मंच पर निर्णय उचित समय के भीतर होना चाहिए जो आम तौर पर एक से दो साल से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि विधि आयोग और मलिमथ द्वारा उल्लेख किया गया है।

आयोग। साथ ही, उपचार की कई परतों को समाप्त करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 227 उपचार, जैसा कि पहले देखा गया है, मुख्य रूप से एक निर्णय में विकृति या पेटेंट त्रुटि के खिलाफ है।

32. उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि द्वारा उठाए गए सभी कदम

केंद्र सरकार ने अब तक महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया है

आपराधिक अपीलों के त्वरित निपटारे की स्थिति। उठाए गए कदम काम की मात्रा में वृद्धि या अन्यथा से निर्धारित किए जाते हैं।

33. तदनुसार, हमारा विचार है कि भारत संघ को

इस बात पर विचार करना कि क्या आपराधिक अपील और अन्य मामले करना व्यवहार्य है

विद्यमान

उच्च न्यायालयों द्वारा प्रणाली के अनुसार उचित समय के भीतर निर्णय लेने से पहले। यदि नहीं, तो क्या ऐसी अपीलों के लिए कोई अन्य उपयुक्त मंच प्रदान करना संभव है ताकि त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके या स्थिति को कैसे ठीक किया जा सके। संवैधानिक न्यायालयों को नियमित वैधानिक अपील प्रदान करने की गैर-व्यवहार्यता का मुद्दा

जैसा कि गुजरात में देखा गया है, ऊर्जा (ऊपर) पर भी विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। सभी स्तरों पर रिक्तियों को सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाओं से भरना।

34. उपरोक्त के अलावा, जिन कदमों की तत्काल आवश्यकता है

विचार में सभी स्तरों पर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं के साथ रिक्तियों को समय पर भरना शामिल है। 14 वें विधि आयोग ने वर्ष 1958 में अपनी रिपोर्ट में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा होने के मुद्दे की जांच की। इसने अखिल भारतीय स्तर की प्रतिस्पर्धा और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन द्वारा चयन का सुझाव दिया। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ 2 1 में इस न्यायालय ने कहा कि भारत संघ को इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। इस अदालत ने भी निर्देश दिया सभी स्तरों पर रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। भर्ती के समान तरीके का पालन करने के लिए संशोधन करने का निर्देश दिया गया था

लागू नियम 23.

22 (2008) 17 एस. सी. सी. 703-मलिक मजहर सुल्तान (3) और अन्र। बनाम यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य-पैरा 7 23 (2002) 4 एस. सी. सी. 247-अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम यू. ओ. आई., पैरा 27 [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. इस संबंध में बकाया समिति के कार्यवृत्त पर भरोसा करते हुए

भारत सरकार के न्याय विभाग ने 28 अप्रैल, 2017 को इस न्यायालय के महासचिव को संबोधित पत्र में कहा कि केंद्रीय चयन तंत्र के विचार पर विचार किया जाना चाहिए। उक्त पत्र को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने सुओ मोटू रिट (सिविल) नं. 1 2017 का (पुनः: अधीनस्थ न्यायपालिका बनाम भारत संघ और अन्य के लिए केंद्रीय चयन तंत्र) और नोटिस

28 जुलाई, 2017-24 के आदेश के अनुसार। हालांकि, यह मामला अभी भी लंबित है। हम पारित किए जाने वाले न्यायिक आदेश पर कोई भी विचार व्यक्त करने से बचते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि केंद्रीय चयन तंत्र की स्थापना सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभाओं की समय पर नियुक्ति करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा बिना किसी देरी के कदम उठाए जा सकते हैं ताकि समय पर और गुणवत्तापूर्ण नियुक्तियां सुनिश्चित की जा सकें।

36. संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्ति द्वारा शासित होती है -

न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 143 (1) के तहत सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 26 और विशेष अध्यक्ष संदर्भ 27 में इस न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित कॉलेजियम प्रणाली। 99 वें संशोधन के माध्यम से

संविधान, उक्त प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन. जे. ए. सी.) द्वारा प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी। उक्त संशोधन को इस न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में खारिज कर दिया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि

24 " 1. हमारा अस्थायी रूप से यह विचार है कि अधीनस्थ न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया के केंद्रीकरण के लिए कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा उठाई गई आपत्तियां हमारे दिनांकित 10.7.2017 आदेश में उपयुक्त रूप से निपटा गया। हालाँकि, ऐसा लगता है कि कुछ भ्रम अभी भी बना हुआ है। यह स्पष्ट रूप से एक संभावित गलत संचार से बाहर है। इसलिए हम न्यायमित्र श्री अरविंद पी. दातार से अनुरोध करना उचित और उचित समझते हैं कि वे एक 'अवधारणा नोट' तैयार करें, जिसमें हमारे दिनांकित आदेश के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए और यह संकेत दिया जाए कि उठाई गई आपत्तियां कैसे संतुष्ट होती हैं। 'अवधारणा नोट' को इस मामले के अभिलेख पर रखा जाएगा, और सुनवाई की अगली तारीख से पहले राज्यों या उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों के बीच वितरित किया जाएगा।

2. दोपहर 3 बजे 4.8.2017 पर फिर से सूची बनाएँ।

25 संविधान की प्रविष्टि 11 ए, सूची III, सातवीं अनुसूची 26 (1993) 4 एस. सी. सी. 441, पैरा 478 (13), पैरा 480,486 27 (1998) 7 एस. सी. सी. 739, पैरा 44 देखें।

28 (2016) 5 एस. सी. सी. 1-पैरा 1255 कृष्णकांत तामराकर बनाम।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज में सुधार की आवश्यकता है 2 9 तदनुसार, संशोधन को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने दिनांकित आदेश के माध्यम से

16 अक्टूबर, 2015 ने निर्देश दिया:

(2016) 5 एस. सी. सी. 1-चेलमेश्वर, जे-पैरा 1236; लोकुर, जे-पैरा 969; कुरियन, जे। - पैरा 990; जे. गोयल। - पैरा 1111:

1236 .

..... उपर्युक्त दो केवल ऐसे मामले नहीं हैं जहां प्रणाली विफल हो गई।

यह सार्वजनिक रिकॉर्ड की बात है कि पिछले 20 वर्षों में, कॉलेजियम प्रणाली के आगमन के बाद, उच्च न्यायालयों के कॉलेजिया द्वारा की गई कई सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा खारिज कर दिया गया था। ऐसे मामले भी हैं जहां इस न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई एक विशेष नाम की सिफारिशों को खारिज करते हुए अपने कदमों को तुरंत वापस ले लिया, जिसमें उन कारकों के बारे में बहुत सारी अटकलों के लिए गुंजाइश दी गई थी जो कॉलेजियम के साथ इस तरह का त्वरित प्रभाव बनाने के लिए भारी पड़े होंगे। इस तरह के निर्णय कुछ मामलों में उचित हो सकते हैं और अन्य मामलों में नहीं भी। इस संबंध में कोई जवाबदेही नहीं है। अभिलेख इस न्यायालय के न्यायाधीशों सहित किसी भी व्यक्ति की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भाग्यशाली नहीं हैं। इस तरह की स्थिति न तो संस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाती है और न ही इस देश के लोगों के लिए अच्छी है। 969. इस घोषणा का परिणाम यह है कि "कॉलेजियम प्रणाली" द्वारा अभिनिर्धारित

द्वितीय न्यायाधीश मामला [(1993) 7 एस. सी. सी. 441] और तृतीय न्यायाधीश मामला [विशेष। 1998 का Ref.1, Re.1998 7 SCC 739] पुनर्जीवित हो जाता है। तथापि, नियुक्ति की प्रक्रिया

990. सब कुछ ठीक था और सब कुछ ठीक नहीं है। इस हद तक, मैं जे. चेलमेश्वर से सहमत हूं कि वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता का अभाव है। विश्वास की कमी ने कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है, जैसा कि कभी-कभी नागरिक समाज द्वारा देखा जाता है। अक्सर, बहुत गंभीर आरोप और कई बार निराधार भी, उठाए गए हैं कि इसका दृष्टिकोण अत्यधिक व्यक्तिपरक रहा है। योग्य व्यक्तियों को पूरी तरह से व्यक्तिपरक कारणों से नजरअंदाज कर दिया गया है, सामाजिक और अन्य राष्ट्रीय वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है, कुछ नियुक्तियों में जानबूझकर देरी की गई थी ताकि या तो निहित विकल्पों को लाभ पहुंचाया जा सके या कम संरक्षण प्राप्त लोगों को ऐसे लाभों से वंचित किया जा सके। अनुकूल व्यक्तियों को दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप गैर-योग्य नियुक्तियां नहीं तो खराब नियुक्तियां हुईं, कॉलेजियम का तानाशाही रवैया आत्म-सम्मान और गरिमा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, यदि नहीं, तो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, न्यायालय, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, जिसे

अक्सर कॉलेजियम का न्यायालय कहा जाता है, निष्पक्ष मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला लुकिंग फॉरवर्ड सिंड्रोम आदि कुछ अन्य आरोप हैं जो काफी समय से हवा में हैं। ये आरोप निश्चित रूप से एक गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करते हैं कि क्या संस्थागत न्यास ने संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को पूरा किया है। हालांकि कोई भी कारणों के विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाना चाहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह न्यासीत्व नहीं है जो विफल रहा, बल्कि न्यासियों और सहयोगियों की कमजोरियों ने प्रणाली को विफल कर दिया। मेरे लिए, यह अभी तक एक ठीक होने वाली स्थिति है। 1111. चूंकि संशोधन से पहले मौजूद प्रणाली 99 वें संशोधन के निरस्त होने पर पुनर्जीवित हो जाएगी और इसके कामकाज के बारे में शिकायतें व्यक्त की गई हैं, इसलिए मेरा विचार है कि ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5. उचित उपायों को लागू करने पर विचार करना, यदि कोई हो,

"कॉलेजियम प्रणाली" के बेहतर कामकाज के लिए, इस पर सूची बनाएँ

3-11-2015 " .

37. विभिन्न सुझावों पर उचित विचार करने के बाद,

16 दिसंबर, 2015 के आदेश के अनुसार इस पर विचार किया गया थाएस:

" 1255. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार

द्वारा मौजूदा प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप देना

के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इसे पूरक बनाना भारत। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके आधार पर निर्णय लेंगे।

चार सदस्यों वाले कॉलेजियम के सर्वसम्मत दृष्टिकोण पर

उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। वे करेंगे।

निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखें:

1256.1 . पात्रता मानदंड: प्रक्रिया ज्ञापन

पात्रता मानदंडों को इंगित कर सकते हैं, जैसे कि न्यूनतम आयु,

कॉलेजियम के मार्गदर्शन के लिए (दोनों के स्तर पर)

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय) की नियुक्ति के लिए

न्यायाधीश, विचारों को आमंत्रित करने और उन पर विचार करने के बाद

राज्य सरकार और भारत सरकार (के रूप में

मामला हो सकता है) समय-समय पर।

1256.2 . नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता - द.

पात्रता मानदंड और प्रक्रिया जैसा कि में विस्तृत है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन

न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए

भारत सरकार की ओर से। प्रक्रिया ज्ञापन लघुकरण के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं

असहमति की राय दर्ज करने सहित चर्चा

कॉलेजियम में न्यायाधीशों ने प्रावधान करते हुए

आवश्यकता के अनुरूप कार्यवृत्त की गोपनीयता न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली में पारदर्शिता।

1256.3 . सचिवालय: बेहतर प्रबंधन के हित में

न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली, ज्ञापन

याचिकाकर्ताओं द्वारा नियुक्ति की पूर्व प्रणाली के अस्तित्व के बारे में नहीं बल्कि व्यवहार में इसके कामकाज के बारे में व्यक्त किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय एन्चेस के पहले के फैसलों पर पुनर्विचार किए बिना इस पहलू पर जा सकता है। मेरा विचार है कि ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए जिनके लिए

लीड्स को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

कृष्णकांत तामराकर बनाम। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

एक सचिवालय की स्थापना के लिए प्रक्रिया प्रदान की जा सकती है

प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए और निर्धारित करें

इसके कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ।

1256.4 . शिकायतें: प्रक्रिया ज्ञापन हो सकता है

के लिए एक उपयुक्त तंत्र और प्रक्रिया प्रदान करें

किसी के खिलाफ शिकायतों से निपटना जो किया जा रहा है

न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाता है।

1256.5 . विविध: प्रक्रिया ज्ञापन

उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान कर सकता है

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए

कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित लोगों के साथ बातचीत

सर्वोच्च न्यायालय, गोपनीयता का त्याग किए बिना

नियुक्ति प्रक्रिया।

38. उपरोक्त निर्णय में विचार किया गया सुधार नहीं है

ऐसा लगता है कि उन्होंने दिन की रोशनी देखी है। इन रे: श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन 3 0 30 की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता के बारे में टिप्पणियां की गई हैं

नियुक्तियाँ करना और गलती करने वाले न्यायाधीश के आचरण के खिलाफ महाभियोग के अलावा अन्य सुधारात्मक उपायों के लिए तंत्र स्थापित करना। 39. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से किसी भी तरह से विचलित नहीं हो रहे हैं कि संवैधानिक नियुक्ति में प्रधानता

न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश के होने चाहिए। साथ ही साथ,

इस तरह की प्रधानता को प्रभावित किए बिना कॉलेजियम के काम में सुधार एक महसूस की गई आवश्यकता है जैसा कि ऊपर माना गया है। इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सचिवालय की स्थापना करने और कॉलेजियम प्रणाली के बेहतर और प्रभावी कामकाज के लिए अन्य कारकों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा,

नियुक्ति के बाद के आचरण या अपर्याप्तता के खिलाफ सुधारात्मक उपाय

30 (2017) 7 एस. सी. सी. 1-पैरा 77-78: " 77. हमारी राय में, इस मामले का महत्व तत्काल समस्या से परे है। यह मामला दो बातों पर प्रकाश डालता है:

(1) संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता, उस मामले के लिए न्यायपालिका के किसी भी सदस्य को सभी स्तरों पर; और (2) ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता जहां संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के लिए महाभियोग के अलावा अन्य सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है।

78. ..... संवैधानिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए कौन सा उपयुक्त तंत्र उपयुक्त होगा, यह एक ऐसा मामला है जिसकी पहचान सभी संबंधित-बार, बेंच, राज्य और नागरिक समाज द्वारा उचित बहस के बाद की जानी चाहिए। लेकिन आवश्यकता प्रतीत होती है

निर्विवाद। "[2018] 4 एस. सी. आर.

प्रदर्शन या धार्मिक आचरण को बनाए रखने में विफलता को विकसित करने की आवश्यकता है। इन पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

40. हम विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि यदि कोई उच्च न्यायालय इसके बिना रहता है

एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश, त्वरित न्याय की प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रभावित होती है। के अनुसरण में नियुक्तियों के लिए एमओपी में समय सीमा के बावजूद

उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम भारत संघ 3 1 कि एक महीने से अधिक समय तक कोई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा 3 2 32, मुख्य न्यायाधीशों की समय पर नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

उस स्थान के अलावा उच्च न्यायालय के लिए कुछ दिन जहां उम्मीदवार पहले से ही काम कर रहा है, प्रणाली का कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता है। द सेंट्रल

सरकार को निर्धारित समय सीमा के अनुसार ऐसी नियुक्तियां सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। भले ही उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान होने तक उच्च न्यायालयों में प्रारंभिक नियुक्तियां करना संभव न हो, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अलग-अलग आधार पर हो सकती है क्योंकि चयन उपलब्ध उम्मीदवारों में से किया जाना है। ऐसे उम्मीदवारों की तेजी से पहचान करने के लिए, डेटा की उपलब्धता और उन व्यक्तियों की भागीदारी की आवश्यकता हो सकती है जो समय बिता सकते हैं। प्रक्रिया के लिए निरंतर आधार पर सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। न्यायपालिका के साथ प्रधानता आवश्यक है लेकिन इस तरह के कठिन प्रकृति के काम के लिए, प्रभावी सहायता आवश्यक है। महसूस किया कि समय की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। समस्याएँ पेटेंट होने पर भी प्रणाली स्थिर या असंबद्ध नहीं रह सकती है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि न्यायाधीशों, विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति की प्रणाली को मजबूत करने की सख्त आवश्यकता प्रतीत होती है। उम्मीदवारों की पहचान, जांच, मूल्यांकन और नियुक्ति के बाद प्रदर्शन माप

और आचरण समय लेने वाली प्रक्रियाएँ हैं और कम से कम कुछ स्वतंत्र पूर्णकालिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, यदि समय पर और सर्वोत्तम नियुक्तियाँ सुनिश्चित की जानी हैं और घर में निरीक्षण एक वास्तविकता होनी है। पूर्णकालिक

31 (1993) 4 एस. सी. सी. 441, पैरा 478 32 'उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया दिखाने वाले ज्ञापन' (एम. ओ. पी.) का पैरा 5।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रत्याशित रिक्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति समय पर शुरू की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि जब किसी मुख्य न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में एक साथ स्थानांतरित किया जाए उनके पद पर उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए और आम तौर पर एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक महीने से अधिक समय तक नहीं किया जाना चाहिए। ”

कृष्णकांत तामराकर बनाम। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुरूप निकाय प्रणाली के लिए तत्काल आवश्यकता प्रतीत होती है। इसकी अनुपस्थिति न्याय से इनकार करने में योगदान देती है। केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एम. ओ. पी.

16 दिसंबर, 2015 के एन. जे. ए. सी. मामले में इस न्यायालय के आदेश से कॉलेजियम के कामकाज में निर्धारित सुधार होता है।

संवैधानिक न्यायालयों सहित न्यायिक पदानुक्रम के सभी स्तरों पर निष्पादन मापन और आचरण के न्यायपूर्ण होने के संदर्भ में जवाबदेही 41. 245 वीं रिपोर्ट में टिप्पणियों के अनुसार न्यायिक प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन और संकलन करने के लिए तंत्र की भी आवश्यकता है

विधि आयोग की ओर से, ताकि त्वरित न्याय के अधिकार के अनुरूप मामलों के निर्णय और जवाबदेही के लिए गैर-अनिवार्य समय सीमा हो। इस तरह का तंत्र प्रदर्शन के लिए मानक प्रदान कर सकता है।

पदानुक्रम में सभी न्यायाधीशों के लिए माप। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित किए बिना ऐसा ही किया जाना चाहिए। महाभियोग के अलावा गलती करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ उपायों के लिए विशेषज्ञों द्वारा संचालित लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुरूप सुरक्षा उपायों के साथ एक आंतरिक तंत्र की भी आवश्यकता है जैसा कि पुनः में देखा गया है: श्री न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन (ऊपर)।

कानूनी पेशे में सुधार-हड़तालों के लिए अनावश्यक उपचार।

42. हम शीघ्रता के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार कर सकते हैं।

न्याय। यह सर्वविदित है कि कुछ स्थानों पर लगातार हड़तालें होती हैं, जो न्याय तक पहुंच में गंभीर रूप से बाधा डालती हैं। यहां तक कि हिरासत में बंद व्यक्तियों के मामलों में भी देरी होती है। प्रत्येक हड़ताल से न्यायिक प्रणाली, विशेष रूप से न्याय के उपभोक्ताओं को अपरिवर्तनीय क्षति होती है। उन्हें न्याय तक पहुँच से वंचित किया जाता है। न्यायिक और सार्वजनिक समय के बर्बाद होने के कारण करदाताओं का पैसा बर्बाद हो जाता है। इस तरह के नुकसान और उत्पीड़न के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

43. डॉ. अम्बेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को अपने प्रसिद्ध भाषण में चेतावनी दी थी:

उद्देश्य। इसका मतलब है कि हमें खूनी तरीकों को छोड़ना होगा। क्रांति की। इसका मतलब है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके को छोड़ देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, तो बहुत कुछ था

असंवैधानिक तरीकों के लिए औचित्य।

संवैधानिक तरीके खुले हैं, कोई औचित्य नहीं हो सकता है

इन असंवैधानिक तरीकों के लिए। ये तरीके हैं -

अराजकता के व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं और जितनी जल्दी वे

छोड़ दिया जाता है, हमारे लिए उतना ही अच्छा है।

**

44. संविधान निर्माता की उपरोक्त चेतावनी होनी चाहिए

कम से कम कानूनी बिरादरी द्वारा पालन किया गया। बार में न्याय तक पहुँच में सहायता करने के अपने पेशेवर कर्तव्य को हर दूसरे विचार से ऊपर रखने की परंपरा है। स्थिति से कैसे निपटा जाए। सक्षम अधिकारी अंतिम निर्णय ले सकते हैं।

45. एक्स-कैप्टन में। हरीश उप्पल बनाम भारत संघ और

एन. आर. 33 , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या न्यायालयों के बहिष्कार का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वे न्यायालयों से दूर रह सकते हैं। इस तरह के उद्देश्य के लिए बार एसोसिएशन या बार काउंसिल द्वारा दिए गए आह्वान के लिए अदालत को मामलों को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हड़ताल या अदालत से दूर रहना गैर-पेशेवर है। यद्यपि उक्त निर्णय दिए जाने के 15 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी इस न्यायालय के निर्णय का बार-बार उल्लंघन किया जाता है और कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। अदालतों में पेश होने के अधिकार का विनियमन अदालतों के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस न्यायालय ने विधि आयोग से उचित परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए भी कहा

कानूनी पेशे के लिए नियामक ढांचे में 3 4. विधि आयोग ने 266 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह समस्या कानून के शासन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

46. महिपाल सिंह राणा (ऊपर) में, इस अदालत ने नोट किया कि

उच्च न्यायालय उन शर्तों को निर्धारित करने के लिए नियम बना सकते हैं जिन पर अधिवक्ताओं को न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति दी जा सकती है। एक अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, भले ही कदाचार के लिए अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र बार काउंसिल 3 5 में निहित हो। इस न्यायालय ने कानून से अनुरोध किया आयोग विनियमन से संबंधित सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करेगा

कानूनी पेशा 3 6.

47. विधि आयोग ने, तदनुसार, प्रासंगिक की जांच की

कानूनी पेशे के विनियमन से संबंधित पहलू। विधि आयोग ने अपनी 266 वीं रिपोर्ट में पाया कि अधिवक्ताओं का ऐसा आचरण अदालतों के कामकाज को प्रभावित करता है और विशेष रूप से यह मामलों के लंबित होने में योगदान देता है।

34 (2016) 8 एस. सी. सी. 335-महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 35 पारस 20,30 से 35

36 पैरा 58 शानकांत तामराकर बनाम। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]हड़ताल के आह्वान के कारण कार्य दिवसों के नुकसान के आंकड़ों का विश्लेषण किया।

विश्लेषण इस प्रकार है:

" 7.2 . उत्तराखंड राज्य में, द्वारा भेजी गई जानकारी

वर्षों के लिए उच्च न्यायालय 2012-2016 से पता चलता है कि

देहरादून जिले में अधिवक्ता 2012-2016 (औसतन, प्रति वर्ष 91 दिन) के दौरान 455 दिनों के लिए हड़ताल पर थे। हरिद्वार जिले में 515 दिन (वर्ष में 103 दिन) बर्बाद हुए।

हड़ताल के कारण। 7.3 राजस्थान राज्य के मामले में, उच्च न्यायालय

जोधपुर की अदालत ने 2012 के दौरान 142 दिनों की हड़ताल देखी। 2016 , जबकि जयपुर पीठ के लिए यह आंकड़ा 30 था। अजमेर जिला अदालतों में अकेले वर्ष 2014 में हड़ताल 118 दिनों तक रही, जबकि झालावाड़ में हड़ताल में 146 दिन बर्बाद हो गए।

2012 हड़ताल के कारण।

7.4 उत्तर प्रदेश का मामला सबसे बुरा प्रतीत होता है। अधीनस्थ अदालतों में वर्षों 2011-2016 के लिए हड़ताल के आंकड़े खतरनाक रूप से अधिक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जिला अदालतों को वर्ष में 265 दिन काम करना पड़ता है। द.

मुजफ्फरनगर (791 दिन), फैजाबाद (689 दिन) सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पिछले पांच वर्षों में हड़ताल की अवधि रही है।

दिन), सुल्तानपुर (594 दिन), वाराणसी (547 दिन), चंदौली (529 दिन), अंबेडकर नगर (511 दिन), सहारनपुर (506 दिन) और जौनपुर (510 दिन)। सबसे अधिक प्रभावित आठ जिलों में हड़ताल के दिनों की औसत संख्या 115 दिनों की है।

एक वर्ष। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न्यायालयों ने

यहाँ ऊपर औसतन केवल 150 दिनों के लिए काम कर सकता था।

एक वर्ष में।

7.5 इस संबंध में, तमिलनाडु में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति किसी भी तरह से बेहतर नहीं थी। तमिल का उच्च न्यायालय

नाडु ने बताया है कि राज्य में 220 कार्य दिवस हैं। राज्य में न्यायालयों के लिए वर्ष। 2011 की अवधि के दौरान

2016 , कांचीपुरम जैसे जिले, 687 दिन (137.4 दिन)

प्रति वर्ष); कन्याकुमारी, 585 दिन (प्रति वर्ष 117 दिन); मदुरै, 577 दिन (प्रति वर्ष 115.4 दिन); कुड्डालोर, 461 दिन (प्रति वर्ष 92.2 दिन); और शिवगंगई, 408 दिन (प्रति वर्ष 81.6 दिन), द्वारा बुलाई गई हड़ताल से सबसे अधिक प्रभावित हुए।

अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.6 मध्य प्रदेश और ओडिशा के उच्च न्यायालयों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार, तस्वीर संतोषजनक नहीं है।

7.7 आयोग ने नोट किया कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल या अदालत से उनका बहिष्कार शायद ही किसी के लिए उचित था

कारणों से। इसे कोई ठोस कारण नहीं मिला जिसके लिए अधिवक्ताओं ने अदालतों में हड़ताल या काम का बहिष्कार किया। हड़ताल के आह्वान या काम से दूर रहने के कारण स्थानीय, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक भिन्न थे। न्यायालयों के कामकाज के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। कुछ का उल्लेख करने के लिए, पाकिस्तान के स्कूल में बम विस्फोट, श्रीलंका के संविधान में संशोधन, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, वकील पर हमला/हत्या, नेपाल में भूकंप, उनके करीबी रिश्तेदारों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए, अन्य राज्य बार संघों के अधिवक्ताओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलनों को नैतिक समर्थन, भारी बारिश, या कुछ धार्मिक मुद्दों पर।

श्राद्ध, अग्रसेन जयंती आदि जैसे अवसर या यहाँ तक कि

कवि सम्मेलन के लिए।

7.8 आयोग का विचार है कि जब तक बाध्यकारी परिस्थितियां नहीं होती हैं और संबंधित बार काउंसिल से एक दिन की प्रतीकात्मक हड़ताल के लिए मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक अधिवक्ता हड़ताल या अदालत के काम से दूर रहने का सहारा नहीं लेंगे।

48. इसके बाद, विधि आयोग ने पूर्व-कप्तान में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख किया। हरीश उप्पल मामला (उपरोक्त) कि दुर्लभतम से दुर्लभतम स्थितियों को छोड़कर बार द्वारा कोई हड़ताल नहीं होनी चाहिए, भी एक दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए बार काउंसिलों को बुलाया गया था। विधि आयोगकि हड़तालें जारी थीं और बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही थीं

न्याय के लिए। यह देखा गया:

" 8.3 इन सबके बावजूद हड़ताल जारी है।

बेरोकटोक। न्याय का वितरण किसी के लिए नहीं रुकना चाहिए।

कारण। वकीलों की हड़ताल ने आम जनता की नजरों में अदालतों की छवि को कम कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि त्वरित न्याय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। हुसैनारा खातून बनाम। गृह सचिव। , बिहार राज्य; और कुछ अन्य मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी को त्वरित न्याय का अधिकार है। वकीलों की हड़ताल, शानकांत तामराकर बनाम।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]

लेकिन इसके परिणामस्वरूप राज्य में नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है।

8.4 हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने निपटान करते हुए

हुसैन और अन्र की आपराधिक अपील। वी. भारत संघ (2017) 5 एस. सी. सी. 702 ने न्यायालय का बहिष्कार करने की प्रथा की निंदा करते हुए कहा कि:

" एक अन्य पहलू जिस पर ध्यान दिया गया है वह है न्यायालय का अवरोध।

अनावश्यक हड़ताल/काम से दूर रहने की कार्यवाही

वकीलों या अदालत के काम का बार-बार निलंबन शोक संदर्भ। इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए

पूर्व में। कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ, जैसे

काम का निलंबन या हड़ताल स्पष्ट रूप से अवैध है और यह है

उच्च समय है कि कानूनी बिरादरी को अपने कर्तव्य का एहसास होता है

समाज जो सबसे आगे है। शोक संदेश दे सकते हैं समय-समय पर दो/तीन महीनों में एक बार कहें

जिस दिन उन्हें बुलाया जाता है उस दिन साक्षय दर्ज नहीं किया जाता है या अभिरक्षा में विचाराधीन मामलों में देरी का प्रभाव

अदालती कार्यवाही के इस तरह के टालने योग्य व्यवधान एक है

किसी भी जिम्मेदार निकाय के लिए चिंता का विषय

पेशेवरों और उन्हें उचित कदम उठाने चाहिए। किसी भी मामले में

मामला, इस पर सभी संबंधित अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है

केंद्र सरकार/राज्य सरकारें/बार काउंसिल /

अधिवक्ता संघों के साथ-साथ उच्च न्यायालय और तरीके और

इस खतरे से निपटने के लिए साधन खोजे जाने चाहिए।

उपरोक्त निर्णय के अनुरूप, उच्च न्यायालयों को इस पहलू की सख्ती से निगरानी करें और कठोर उपाय करें

न्याय प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता हो सकती है।

**

8.5 रेमन सर्विसेज प्रा. लि. लिमिटेड वी. सुभाष कपूर (2001) 1

एस. सी. सी. 118, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता यह दावा करता है कि हड़ताल करने का उसका अधिकार उसके लिए बिना किसी नुकसान के होना चाहिए, लेकिन नुकसान केवल उसके निर्दोष मुवक्किल द्वारा वहन किया जाना चाहिए, तो ऐसा दावा निष्पक्ष खेल के किसी भी सिद्धांत और नैतिकता के सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए, जब वह अदालत को हड़ताल या बहिष्कार करने का विकल्प चुनता है, तो उसे कम से कम वादी मुवक्किल को हुए आर्थिक नुकसान को सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिसे उसे सौंपा गया था।

उस वकील को पूरे विश्वास के साथ उनका संक्षिप्त विवरण कि उनका मुद्दा उस वकील के हाथों में सुरक्षित रहेगा। "[2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. कानूनी पेशे के विनियमन के अन्य पहलुओं की जांच करते हुए, विधि आयोग ने विनियामक तंत्र की समीक्षा की सिफारिश की

अधिवक्ता अधिनियम निम्नानुसार है:

" 17.1 नियामक की समीक्षा करने की सख्त आवश्यकता है

अधिवक्ता अधिनियम का तंत्र, न केवल मामलों में अधिवक्ताओं का अनुशासन और कदाचार, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी, कानूनी प्रावधानों के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए

जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में शामिल होना। बार काउंसिलों के गठन और उनके कार्यों के लिए कुछ प्रावधानों को लागू करने की भी आवश्यकता होती है ताकि बार काउंसिलों के आंतरिक कार्यों को मजबूत किया जा सके।

यह भी मायने रखता है "।

50. चूँकि हड़तालें इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करती हैं, इसलिए यह अवमानना और कम से कम अदालत के पदाधिकारियों के लिए समान राशि है।

हड़ताल का आह्वान करने वाले संघ अवमानना के लिए अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकते। हड़ताल पर जाने और काम से दूर रहने का प्रत्येक संकल्प प्रति है

यह अवमानना है। भले ही कदाचार के लिए संबंधित अदालत या संबंधित बार काउंसिल द्वारा ऐसे अवमानकों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, लेकिन इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून को लागू करने के लिए कुछ तंत्र प्रदान करना आवश्यक है, जो उपचार के लिए एक कानून लंबित है। स्थिति।

51. तदनुसार, हम अनुच्छेद 14 और 21 के तहत न्याय तक त्वरित पहुंच के मौलिक अधिकार को लागू करने की दृष्टि से इसे आवश्यक मानते हैं।

और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, कानून और न्याय मंत्रालय को हड़ताल/काम से दूर रहने, नुकसान होने और प्रस्तावित कार्रवाई पर कम से कम एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। इसके बाद इस मामले पर इस न्यायालय की अवमानना या अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में विचार किया जा सकता है। न्यायालय, तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित कर सकता है कि बार के पदाधिकारी हड़ताल या काम से दूर रहने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाले संघ/बार काउंसिल को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए या उस समय तक किसी भी अदालत के समक्ष उपस्थित होने से रोका जा सकता है जब तक कि वे एक उचित उपक्रम/शर्तों के आधार पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य

न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेते। जब तक संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा दायर किए जा रहे उचित वचन पर अनुमति नहीं देते, तब तक उन्हें बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पद से तुरंत हटा दिया जा सकता है। यह किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा हो सकता है जो न्याय तक पहुंच में बाधा डालने के उक्त अवैध कृत्यों के लिए की जा सकती है। इस मामले पर शनकांत तामराकर बनाम भी विचार किया जा सकता है।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [आदर्श कुमार गोयल, जे.]इस संबंध में उच्च न्यायालयों से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय। यदि स्थिति आवश्यक हो तो एक चौथाई से पहले भी किसी अन्य स्रोत से रिपोर्ट/याचिका पर रोक नहीं है।

52. अब हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं:

(i) भारत के विधि आयोग की 124 वीं और 272 वीं रिपोर्ट, गुजरात ऊर्जा (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले, 8 अप्रैल, 2017 को उच्चतम न्यायालय की बकाया समिति के कार्यवृत्त और अन्य सभी प्रासंगिक विचारों के आलोक में, संबंधित अधिकारी इस बात की जांच कर सकते हैं कि भीड़भाड़ कम करने के लिए उचित मंच बनाकर न्यायिक संरचना में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। संवैधानिक न्यायालयों को वास्तविक रूप से प्राप्त करने के लिए

त्वरित न्याय का संवैधानिक लक्षय।

((ii) भारत के विधि आयोग की 14 वीं रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के निर्णय, इस मामले की बकाया समिति के कार्यवृत्त

8 अप्रैल, 2017 का न्यायालय और इस विषय पर अनुभव, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के मुद्दे पर विचार लंबित होने तक, संवैधानिक न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए केंद्रीय चयन तंत्र के प्रस्ताव पर विचार करने और अपर्याप्तताओं को कैसे पूरा किया जाए, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है

सभी स्तरों पर संवैधानिक न्यायालय। (iii) उपरोक्त टिप्पणियों और अन्य सभी प्रासंगिक विचारों के आलोक में विचार करने की आवश्यकता है कि क्या

बिना प्रभावित किए पूर्णकालिक विशेषज्ञों का एक निकाय होना चाहिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नियुक्ति से पहले के चरण में उम्मीदवारों की पहचान, जांच और मूल्यांकन करने और मूल्यांकन करने में सहायता करना।

नियुक्ति के बाद प्रदर्शन। सरकार भी कर सकती है

इस बात पर विचार करें कि अपने स्तर पर उम्मीदवारों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है ताकि कोई गलत उम्मीदवार नियुक्त न किया जाए। न्यायाधीशों का धर्मी आचरण सुनिश्चित करने के लिए किन कदमों की आवश्यकता होती है

बाद के चरण में भी विचार के लिए एक मुद्दा है।

(iv) न्याय तक पहुँच में बाधा डालने वाली बार-बार की जाने वाली अनावश्यक हड़तालों की बीमारी को रोकने के लिए लंबित विधायी उपायों के कारण, विधि और न्याय मंत्रालय जानकारी संकलित कर सकता है और हड़तालों/काम से दूर रहने, नुकसान और कार्रवाई पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

प्रस्तावित किया। इसके बाद इस मामले पर इस न्यायालय की अवमानना या अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में विचार किया जा सकता है। न्यायालय एक तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश दे सकता है कि बार एसोसिएशन/बार काउंसिल के पदाधिकारी जिन्होंने हड़ताल या काम से दूर रहने के लिए प्रस्ताव पारित किया या उस दिशा में अन्य कदम उठाए, उन्हें किसी भी अदालत के समक्ष एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उपस्थित होने से रोका जा सकता है या जब तक कि वे एक उचित वचन/शर्तों के आधार पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेते। जब तक संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा दायर किए जा रहे उचित वचन पर अनुमति नहीं देते, तब तक उन्हें बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के पद से तुरंत हटा दिया जा सकता है। यह किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा हो सकता है जो न्याय तक पहुंच में बाधा डालने के उक्त अवैध कृत्यों के लिए की जा सकती है।

इस संबंध में उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी इस न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार किया जा सकता है। यह किसी अन्य स्रोत से रिपोर्ट/याचिका को समाप्त होने से पहले भी प्रतिबंधित नहीं करता है।

चौथाई, यदि स्थिति आवश्यक है।

53. तदनुसार, हम उपरोक्त शर्तों में इस अपील का निपटारा करते हैं। हम भारत संघ उपरोक्त समझौतों के आलोक में तीन महीने के भीतर एक हलफनामा दायर करेंगे। पैरा 52 (iv) के संदर्भ में पहली रिपोर्ट

30 जून, 2018 तक दाखिल किया गया। इस मामले को बुधवार, 4 जुलाई, 2018 को उपरोक्त हलफनामे पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

रियात बेंच।

अपील का

निपटारा किया गया।

के. त्रिपाठी